Himachal Pradesh
Board of School Education
Dharamshala, Himachal Pradesh

क्रमांक: हि०शि०बो०(31) राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/19387-400 दिनांक:- 12.12..2024

"अधिसूचना"

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बोर्ड अधिनियम की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) द्वारा अधिसूचित अधिसूचना संख्या क्रमांकः हि०शि०बो०(33) राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/11772-11799 दिनांक:-25-09-2018 जिसमें कि नियमित परीक्षा में कम्पार्टमैंट घोषित हुए परीक्षार्थियों को हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र माना गया था, को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

परीक्षा सत्र सितम्बर, 2025 से नियमित परीक्षा में निर्धारित कम्पार्टमैंट के दो अवसरों में अपनी परीक्षा उतीर्ण नहीं करने की दशा में ही परीक्षार्थी हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा।

उक्त अधिसूचना का समावेश राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षा नियमावली के नियम 4.20 के अन्तर्गत होगा।

डॉ० (मेज़र) विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। दिनांकः 12.12.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव(शिक्षा), हि० प्र० सरकार, शिमला-171002।
2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हि० प्र०, शिमला 171001।
3. वरिष्ठ आशुलिपिका/कनिष्ठ आशुलिपिक, माननीय अध्यक्ष/ सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. समस्त उप-सचिव/सहायक सचिव, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
5. अनुभाग अधिकारी सामान्य शाखा हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आगामी बोर्ड बैठक में उक्त निर्णय की संपुष्टि हेतु मामला प्रस्तुत करें।
6. प्रभारी, आई० टी० शाखा हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को उपरोक्त अधिसूचना बोर्ड वैबसाईट पर अपलोड करने व इससे सम्बन्धित ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक बदलाव करने हेतु।
7. प्रभारी, कार्यालय लोक सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।

डॉ० (मेज़र) विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव